

निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई०ए०एस० जिला कलक्टर,झालावाड़
मि०न० 51/अपील/21



नन्दलाल आ० दूधा जाति कलाल नि० डाडा तहसील पिडावा (अपीलांत)
बनाम

राजस्थान सरकार जय तहसीलदार पिडावा (रस्पो०)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 14.09.2021 न्यायालय तहसीलदार पिडावा
मि०न० 397/2021

उपस्थित:- श्री सुदामा रातोर, अभिभाषक अपीलान्त,
पैरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 07.12.21

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 14.09.2021 जो मिसल न० 397/21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम डोडा की आराजी ख०न० 75 रकबा 10 बिस्वा किस्म गेर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमी मानकर एक माह का सिविल कारावास व 48/-रु. शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत एवं सार संग्रह होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया है हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट अतिक्रमण स्थल पर नहीं बनाई, न ही अतिक्रमण दर्शित भूमि का सीमांकन किया, अतिक्रमण भूमि पर कोनसी फसल बोई है इस संबंध में विवरण अंकित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व अतिक्रमण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज व निर्णय प्रदर्शित नहीं किया है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा कार्यवाही की गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रस्पो० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पैरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा गेर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न० 300 निर्णय दिनांक 14.09.2020 से आराजी से बेदखल कर पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पिडावा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट संलग्न की गई है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील पिडावा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे की जाँच कर सुनवाई पश्चात पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.21 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़